HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5410/2026

Chaman Singh S/o Shrigovind Singh, Aged About 52 Years, R/o Plot No. 31, Nilgiri Vistar, Police Station Harmada, At Present Resident Of Plot No. 23 Shekhawati Nagar Road No. 14, Harmada, Police Station Harmada Jaipur (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

20/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– श्याम नगर, जिला– जयपुर सिटी (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 106/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। परिवादी दिलीप सिंह राजावत द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह आक्षेप लगाए हैं कि अभियुक्तगण अविनाश शर्मा, दिनेश पाराशर व चिमन सिंह ने BITMINE VIETNAM TOUR FOR INDIA के नाम से वाट्सएस ग्रुप बनाकर VIETNAM TOUR पर ले जाने का झांसा देकर कुल 1,76,000/– रुपये की राशि हड़प ली, इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में किसी भी प्रकार की कोई राशि परिवादी के खाते से प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा

में चल रहा है। अनुसंधान एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य मुख्य अभियुक्त दिनेश व अविनाश के साथ मिलकर एक फर्जी वाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को वियतनाम ले जाने का झांसा देकर उनके द्वारा राशि हड़प की गई है। इस संदर्भ में अभियुक्त अविनाश शर्मा के बैंक खाते को चेक करने से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि उसके खाते में भारी राशि जमा हुई है। इस संदर्भ में अभियुक्त अविनाश शर्मा के बैंक खाते के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में प्रकरण साईबर पोर्टल पर दर्ज होना भी प्रकट हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त ने मुख्य अभियुक्त अविनाश शर्मा के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखा–धड़ी कर राशि प्राप्त करने का आरोपी है। प्रार्थी/अभियुक्त से एक मोबाइल जप्त हुआ है वह वाट्सएप में संबद्ध होना पाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्टतः अनुसंधान में आया है कि प्रकरण में अभियुक्त अविनाश शर्मा के बैंक खाते के संदर्भ में साईबर शिकायतें कर्नाटक, तमिलनाडू व उत्तरप्रदेश में दर्ज हुई हैं और उसके खाते में उक्त राशि भी जमा हुई है। इस प्रकार अनुसंधान से अभियुक्त अविनाश शर्मा को पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी माना गया है।

प्रकरण के अन्य गुणावगुणों पर टिप्पणी किए बिना, उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा यह देखते हुए कि प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **चमन सिंह पुत्र श्रीगोविन्द सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /31